प्रेस नोट
दिनांक 16.09.2020

परिक्षेत्र आजमगढ़

जनपद आजमगढ़

थाना महाराजगंजः- हत्या के आरोप में वांछित 25 हजार रूपये का ईनामियां अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त शंकर उर्फ रमाशंकर यादव पुत्र दसई यादव ग्राम महाजी देवारा जदीद (जमुनिहवाँ) थाना महराजगंज आजमगढ़ द्वारा अपने सहयोगी अभियुक्तो द्वारा अपहृत देवनाथ पुत्र सीताराम सा0 महाजी देवारा जदीद (जमुनिहवां) को दि0 04.09.20 को अपने साढ़ू चौधरी यादव के यहां से ले जा कर टेकनपुर थाना क्षेत्र रौनापार में अपहृत देवनाथ का गला गमछे से कस कर गला घोट कर मार कर बंधे के पानी में साक्ष्य छिपाने के लिए डुबा देना । जिसका शव दि0 06.09.2020 को थाना रौनापार के पुलिस द्वारा बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-183/2020 धारा 302,364,201 भादवि बनाम 1. चौधरी यादव पुत्र केदार यादव, ग्राम बरियारपुर थाना महराजगंज आजमगढ़, 2. चौधर यादव के घर के लड़के ग्राम बरियारपुर थाना महराजगंज आजमगढ़, 3. शंकर यादव पुत्र दसई यादव निवासी ग्राम महाजी देवारा जदीद जमुनिहवाँ, थाना महराजगंज आजमगढ़ 4. शंकर यादव के साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 16.09.20 को प्रभारी निरीक्षक महराजगंज देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन करते हुए शिवशंकर मोड़ पर मौजूद थे उसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि मु0अ0सं0 183/2020 धारा 302,364,201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शंकर यादव उर्फ रमाशंकर पुत्र स्व0 दसई यादव ग्राम महाजी देवारा जदीद (जमुनिहवाँ) थाना महराजगंज आजमगढ़ इस समय कटान बाजार होकर सरदहा होते हुए कहीं भागने की फिराक मे है । सूचना पर पुलिस बल द्वारा ग्राम कटान बाजार से पहले गन्ने के खेत के पास अभियुक्त का इंतजार करने लगे कि कुछ देर बाद एक मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया । उक्त मोटर साइकिल के नजदीक आने पर एक बारगी घेरकर व्यक्ति को समय 07.20 बजे गिरफ्तार किया गया । नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शंकर यादव उर्फ रमाशंकर पुत्र स्व0 दसई यादव ग्राम महाजी देवारा जदीद (जमुनिहवाँ) थाना महराजगंज आजमगढ़ बताया । पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु पूर्व में ही अभियुक्त चौधरी यादव एवं अभियुक्त शंकर यादव पर 25-25 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया था । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तः-
शंकर यादव पुत्र दसई यादव ग्राम महाजी देवारा जदीद (जमुनिहवाँ) थाना महराजगंज आजमगढ़
पंजीकृत अभियोगः-
मु0अ0सं0 183/2020 धारा 364, 302, 201, 34 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहासः-
1. मु0अ0सं0-183/2020 धारा 364, 302, 201, 34 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-124/19 धारा 323, 452, 504 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगीः-
घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल
फरार अभियुक्तगणः-
1. चौधरी यादव पुत्र केदार यादव, ग्राम बरियारपुर थाना महराजगंज आजमगढ़
2. नीरज पुत्र चौधरी यादव सा0 बरियारपुर थाना महराजगंज आजमगढ़
3. लल्लू पुत्र प्रेम यादव निवासी ग्राम अमानी हैदराबाद थाना रौनापार आजमगढ़
4. जितेन्द्र पुत्र श्रवण यादव निवासी ग्राम अराजी अमानी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
5. नीरज के 02 दोस्त नाम पता अज्ञात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
SHO देवेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 रमेश कुमार व हे0का0 उमाकान्त यादव व का0 रणजीत सिंह

जनपद मऊ

टाप-10 अपराधी सहित दो शातिर गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज तमंचा व कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ घुले सुशील चन्द्रभान के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बारीकोट भीटी के पास से टाप-10 अपराधी राकेश चौहान पुत्र योगेन्द्र चौहान निवासी चन्द्रावर थाना नगरा जनपद बलिया के कब्जे से एक अदद तमंचा मय 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 504/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।